

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 726/2015/जयपुर.
2. अपील संख्या - 727/2015/जयपुर.
3. अपील संख्या - 728/2015/जयपुर.
4. अपील संख्या - 729/2015/जयपुर.
5. अपील संख्या - 730/2015/जयपुर.
6. अपील संख्या - 731/2015/जयपुर.
7. अपील संख्या - 732/2015/जयपुर.
8. अपील संख्या - 733/2015/जयपुर.
9. अपील संख्या - 734/2015/जयपुर.
10. अपील संख्या - 735/2015/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त-एन, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
सी-16, अल्कनन्दा, जनपथ विधानसभा के पीछे, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 एवं अपील संख्या के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन सभी अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

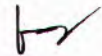
3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.11.2014 में दिये गये निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर विधिक बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (जिसे आगे

  लगातार.....2

“योजना” कहा जायेगा) के तहत ब्याज एवं मजदूरी की अनुदान राशियों की गणना उक्त योजना, 2003 के क्लॉज 7(i)(b) जो कि किसी ईकाई को “विस्तार” के मामले में प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर अनुज्ञेय होती है, के अनुसार पुर्नगणना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

4. प्रकरण में विधिक बिन्दु पर दिये गये निर्णय पर विचार करने से पूर्व प्रकरण के तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। प्रत्यर्थी व्यवहारी को योजना, 2003 के तहत राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा शंभूपुरा में स्थित ईकाई में “विस्तार” शीर्षक के तहत पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें पूर्व में संचालित एक यूनिट के अतिरिक्त एक नई यूनिट स्थापित की गई थी, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को “विस्तार” के तहत पात्र माना गया, हालांकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्थापित की गई नई यूनिट पर नई ईकाई के रूप में पात्रता प्रमाण दिये जाने का आवेदन किया था, परन्तु एस.एल.एस.सी ने इसे एक ही यूनिट का “विस्तार” माना अतः योजना के “विस्तार” शीर्षक के तहत देय ब्याज एवं मजदूरी अनुदान का हकदार था।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा “विस्तार” पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2009 से सब्सिडी लिये जाने के आवेदन किये गये थे, जिसके अनुरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुदान के गणना के आदेश दिनांक 25.01.2012 को जारी किये थे परन्तु उनके आवेदन से कम अनुदान दिये जाने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उस आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09.04.2013 को प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी को योजना के क्लॉज 7(i)(b) के अनुसार गणना करने के आदेश दिये गये। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2013 को पुनः आदेश पारित किया गया परन्तु अपीलीय अधिकारी के आदेश में दिये गये स्पष्ट दिशा निर्देशों पालना नहीं कर पुनः अनुदान राशि संबंधी पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.01.2012 को अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया। इस तरह दिनांक 30.09.2013 के अपीलीय आदेश में दिये गये स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, उसके विरुद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 17.11.2014 को विस्तृत आदेश पारित करते हुये दिनांक 01.04.2009 से 31.07.2010 एवं 01.01.2011 से 30.09.2011 की अवधि के अनुदान योजना के क्लॉज 7(i)(b) अनुसार दिये जाने के पुनः आदेश देते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 17.11.2014 के विरुद्ध यह अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत कर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया है।

लगातार.....3

6. राजस्व की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुये प्रस्तुत किये गये गये अपीलीय आधारों पर अपील निर्णय दिनांक 17.11.2014 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।
7. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि इस विवाद के मामले में प्रथम बार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2012 को आदेश पारित किया गया था उसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 09.04.2013 को अपील स्वीकार कर प्रकरण में रिफ्स योजना के प्रावधानों का विवेचन करते हुये बताया था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को इसी योजना के तहत दिनांक 01.08.2010 से 30.09.2010 एवं 01.10.2010 से 31.12.2010 की समयावधि के लिये योजना के क्लॉज 7(i)(b) के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया गया था, परन्तु बाद में विवादित अवधियों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार वांछित अनुदान नहीं दिया गया। अतः पूर्ण विधिक विवेचना के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को जांच के पश्चात पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण दिनांक 9.4.2013 को प्रतिप्रेषित किया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश की अवहेलना कर यह विधिक विवेचना की है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की पूर्व में विद्यमान यूनिट प्रथम के बाद "विस्तार" के लिये जो दूसरी यूनिट लगाई है केवल उसी के उत्पादन पर योजना का लाभ प्राप्त होगा एवं आदेश में योजना के प्रावधानों के बाहर जाते हुये उसकी इस तरह व्याख्या की है कि "विस्तार" के मामले में केवल नई यूनिट के उत्पादन पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त होगा जो पूर्णतया गलत व्याख्या थी एवं अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 09.04.2013 की पालना नहीं की गई एवं दिनांक 30.09.2013 को आदेश पारित कर दिया गया।
8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत व्याख्या के साथ अनुदान नहीं दिये जाने के उक्त आदेश दिनांक 30.09.2013 के विरुद्ध पुनः अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2014 पारित किया गया, जिसमें योजना 2003 के "विस्तार" से संबंधित मुख्य प्रावधानों को उद्धरित करते हुये स्कीम के क्लॉज 7(i)(b) यथा संशोधित दिनांक 10.10.2008 जो कि निम्नानुसार है :-

In case of investment made in modernization, Expansion the amount of Capital Investment Subsidy shall be subject to a maximum of fifty percent of the amount of the Central Sales Tax and VAT payable or deposited by the unit on its additional capacity, so created over and above the installed capacity before Expansion/Moderization.




Illustration :- installed capacity of unit 'A' before expansion/modernization was 100 tons and after expansion it becomes 150 tons but the unit A produces 140 tons. Tax paid on (140tons-100 tons) = 40 tons shall qualify calculation of capital Investment Subsidy." के अनुसार अनुदान दिये जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है।

9. अपीलीय आदेश के निर्णय पर प्रश्न करते हुये राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है अतः दोनों अपीलीय आदेश में दिये गये निर्णयों का अध्ययन परीक्षण किया गया। सर्वप्रथम यह टिप्पणी करना उचित होगा कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश की पालना नहीं करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हुये अपीलीय आदेश दिनांक 9.4.2013 के निर्देशों की पालना नहीं करने के मानस के साथ पुनः आदेश दिनांक 30.9.2013 पारित किया है, जिसमें अवांछित रूप से योजना, 2003 के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर प्रत्यर्थी को योजना अनुसार अनुदान न दिये जाने का निर्णय किया गया है। यह टिप्पणी करना भी आवश्यक है अपीलीय आदेश दिनांक 09.04.2013 में यह अंकित किया गया था कि जब दिनांक 01.08.2010 से दिनांक 30.09.2010 एवं दिनांक 01.10.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के लिये अनुदान की गणना योजना, 2003 के क्लॉज 7(i)(b) के अनुसार की गई थी तब बाद की अवधि के लिये उसी अनुसार गणना नहीं करने का कोई कारण नहीं था। प्रकरण में यह प्रमाणित है कि एक ही पात्रता प्रमाण पत्र एवं एक ही योजना के तहत अलग-अलग अवधियों के लिये अलग-अलग गणना कर आदेश किये गये हैं जो स्वतः ही विधिविरुद्ध है क्योंकि यदि दिनांक 01.10.2010 की अवधि में अनुदान हेतु की गई गणना गलत मानी जा रही है तो उस आदेश को स्वयं कर निर्धारण को पहले निरस्त करना चाहिये था।

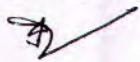
10. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर एस.एल.एस.सी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अनुदान नहीं दिये जाने की कार्यवाही किया जाना भी विधिविरुद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो यह अवधारणा पेश की है कि विस्तार में नवीन यूनिट पर ही लाभ देय होगा वह गलत है क्योंकि योजना, 2003 के अनुसार किसी भी यूनिट को विस्तार एवं मॉडर्नाइजेशन के पश्चात मूल क्षमता से अधिक क्षमता के उत्पादन पर अनुदान का लाभ दिया गया है। यह विशिष्ट रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है कि योजना के तहत विस्तार का अर्थ केवल एक यूनिट से दूसरी यूनिट लगाना मात्र नहीं है बल्कि विस्तार का अभिप्राय केवल 10 लाख का अतिरिक्त या नवीन विनियोजन भूमि या बिल्डिंग में करने मात्र से है।

.....Expansion "means minimum fresh additional borrowing of rupees ten lacs or investment in new land and / or building valued at more than rupees ten lacs..."




लगातार.....5

11. उपरोक्त परिभाषानुसार कोई भी ईकाई केवल भवन या भूमि में 10 लाख से अधिक विनियोजन करते हैं एवं इसके फलस्वरूप किसी ईकाई की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो बड़े हुये उत्पादन पर अनुदान क्लॉज 7(i)(b) में दिया जायेगा। इसी लिये इस क्लॉज के साथ उदाहरण के साथ स्पष्ट किया गया है कि किसी एक ईकाई की पूरी क्षमता में वृद्धि होने पर मूल क्षमता जितने उत्पादन के बाद के संपूर्ण उत्पादन पर अनुदान प्राप्त होगा।
12. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह धारणा रखना गलत है कि विस्तार का अर्थ केवल नया प्लांट लगाने से है क्योंकि उन्होंने यह विचार नहीं किया है कि किसी कार्यरत ईकाई में अन्य व्यवस्थाओं से भी अधिक उत्पादन हो सकता है जैसे कि किसी ईकाई में भूमि या भवन कम होने से उत्पादन क्षमता कम हो सकती है क्योंकि कई मामलों में भूमि या भवन की भी आवश्यकता हो सकती है जिससे उसकी क्षमता बढ़ सके। इसी प्रकार मार्टनाइजेशन के मामलों में भी किसी एक ईकाई में नवीन उपकरण लगाकर किसी मशीन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसलिये क्लॉज 7(i)(b) में सीधे रूप से केवल पूर्व क्षमता एवं बढ़ी हुई क्षमता का आधार लिया गया है, जिसमें राजस्व में वृद्धि भी हो एवं औद्योगिकीकरण भी हो सके इसके लिये पूर्व की मूल क्षमता तक के उत्पादन पर कोई अनुदान नहीं दिया गया है बल्कि उद्योग के विस्तार में विनियोजन करने पर मूल क्षमता से अधिक उत्पादन पर लाभ दिया गया है, इसको वाणिज्यिक रूप से स्पष्ट करने के लिये यह उल्लेख करना उचित होगा कि योजना में केवल पूर्व क्षमता से अधिक उत्पादन पर अनुदान देय है। क्लॉज 7(i)(b) के उदाहरण के साथ स्पष्ट किया है कि एक ही यूनिट को 100 टन की क्षमता से 150 टन की क्षमता का बनाया जा सकता है एवं उस परिस्थिति में 100 टन से अधिक उत्पादन पर अनुदान को दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना के क्लॉज 7(i)(b) अनुसार एक यूनिट से 2 यूनिट होने पर बाद में भी वह एक ही ईकाई के रूप में मानी जायेगी जिसमें पूर्व की स्थापित उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन पर अनुदान का लाभ देय होगा। इस प्रकरण में दिनांक 01.10.2010 से 31.12.2012 मध्य की अवधि के लिये जो अनुदान दिया गया है वह विधिसम्मत अनुदान था एवं योजनानुसार उसकी गणना की गई थी। इस तरह उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना में विस्तार के बाद केवल पूर्व स्थापित क्षमता में वृद्धि किया जाना ही तात्पर्य है तथा इसके लिये नवीन रूप से पृथक यूनिट लगाना भी आवश्यक नहीं है, बल्कि 10 लाख के भूमि एवं भवन के विनियोजन से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है एवं इस योजना में जो प्रावधान किये गये हैं उसी के अधीन आदेश पारित किया जाना कर निर्धारण अधिकारी की बाध्यता है।



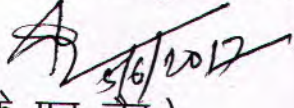

—: 6 :—

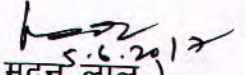
1-10. अपील संख्या-726 से 735/2015, जयपुर.

13. फलतः इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं दिये गये निर्देशानुसार एवं उपर वर्णित विवेचन अनुसार अनुदान दिये जाने के आदेश किये जाते हैं।

14. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य